

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग  
—:: आदेश ::—

सं० सं०—17/विविध— 01—172/2023

पटना, दिनांक :- / / 2025

डा० चिकित्सा विजय, सीनियर रेजिडेंट (टेन्योर—BHS), शिशु रोग विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय को वित्त विभागीय परिपत्र संख्या—9889, दिनांक—01.12.2015 के आलोक में दिनांक—22.07.2023 से 17.01.2024 तक कुल—180 दिनों का द्वितीय संतान हेतु उपभोगित मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2 इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/—

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

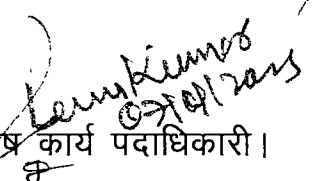
ज्ञापांक :-17/विविध— 01—172/2023—13(17) पटना, दिनांक :- 07/01/2025

प्रतिलिपि:— महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— डा० चिकित्सा विजय, सीनियर रेजिडेंट (टेन्योर—BHS), शिशु रोग विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, लहेरियासराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी।